

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
// आदेश //

क्रमांक. A/3103 /
चार-12-14/80 भाग-दो-जी

जबलपुर, दिनांक 30/05/2023

कु. शिवानी सिंह राजपूत, पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर (वर्तमान में खंडपीठ ग्वालियर में अटैच) को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(सी) 13/94/21-ब (एक) दिनांक 06.10.1995, दिनांक 17.05.2005, 22-06-2011, आदेश क्रमांक 3632/21-ब (एक) भोपाल, दिनांक 29-12-2014 एवं आदेश क्रमांक 17 (ई)38/2014/ 21-ब (एक) 976 भोपाल, दिनांक 08-04-2015 में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 24.05.2023 से वाहन भत्ता रूपये 1000/- (रूपये एक हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से स्वीकृत किया जाता है।

(प्रमोद कुमार अग्रवाल) 29-5-23
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता)

पृष्ठांकन क्रमांक A/3104 /
चार-12-14/80 भाग-दो-जी

जबलपुर, दिनांक 30/05/2023

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ ग्वालियर, ग्वालियर (म.प्र.),
2. रजिस्ट्रार, प्रशासन/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
3. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.) स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
6. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. कु. शिवानी सिंह राजपूत, पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर (वर्तमान में खंडपीठ ग्वालियर में अटैच)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

for (यू.एस. दुबे)
३१
३ ऑ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस.